



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

A State University-Government of Uttar Pradesh; NAAC A++ Accredited; ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि./सम्बद्धता/2024/5016-29

दिनांक : 20.12.2024

महत्वपूर्ण

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/प्रबन्धक/सचिव,
समस्त सम्बद्ध-राजकीय/संघटक/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषय- अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, उ०प्र० की अध्यक्षता में दिनांक 11.11.2024 को हुई समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन, लखनऊ के संलग्न पत्रांक : 14 रा०प०/सत्तर-3-2024, दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो कि अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति की अध्यक्षता में दिनांक 11.11.2024 को आहूत समीक्षा बैठक के विभिन्न बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है।

उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि./सम्बद्धता/2024/4847-60 दिनांक 10.12.2024 के माध्यम से उक्तानुसार समीक्षा बैठक में उल्लिखित विभिन्न बिन्दुओं-संविधान दिवस, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 148वीं जयन्ती, नैक मूल्यांकन से सम्बन्धित पुस्तक प्रकाशन, समर्थ पोर्टल के क्रियान्वयन एवं पढ़े विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, बड़े विश्वविद्यालय/महाविद्यालय पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था।

अतः कृपया उपर्युक्त समस्त बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 23.12.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें, जिससे कि आख्या समयान्तर्गत शासन को प्रेषित की जा सके।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वित्त अधिकारी।
2. परीक्षा नियन्त्रक।
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/चीफ प्राक्टर/क्रीड़ा सचिव/समस्त निदेशक/समस्त वार्डन।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली-मुरादाबाद परिक्षेत्र, बरेली।
5. समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
6. समन्वयक, विश्वविद्यालय सांस्कृतिक केन्द्र को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
7. कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
8. मीडिया प्रभारी।
9. उप कुलसचिव (प्रशासन/सम्बद्धता)
10. उप कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय)
11. निजी सचिव-कुलपति।
12. प्रभारी, वेबसाईट।
13. वैयक्तिक सहायक-कुलसचिव।

कुलसचिव

महत्वपूर्ण
संख्या-14 रा0प्र0/सत्तर-3-2024

प्रेषक,
शिपू गिरि,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 19 दिसम्बर, 2024

विषय : अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, उ0प्र0 की अध्यक्षता में दिनांक 11.11.2024 को सम्पन्न समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 के पत्र संख्या-ई-8596/32-जी0एस0/2024, दिनांक 18.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सविधान दिवस, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 148वीं जयन्ती, नैक मूल्यांकन से सम्बन्धित पुस्तक प्रकाशन, समर्थ पोर्टल के क्रियान्वयन एवं पढ़े विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, बढ़े विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कार्यक्रम विषयक अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, उ0प्र0 की अध्यक्षता में दिनांक 11.11.2024 को सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त प्रेषित किया गया है।

2-- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त में उल्लिखित समस्त विन्दुओं, विशेष रूप से विन्दु संख्या-4 (समर्थ ई.आर.पी. के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा) पर दिये गये निर्देशों का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही की अगुआ शासन एवं कुलाधिपति सचिवालय को 01 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Sipu Giri

(शिपू गिरि) 12-2024 11:14:55

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 2- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- डॉ० संजीव सिंह, प्रिंसिपल इन्वेस्टीगेटर, प्रोजेक्ट समर्थ, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
- 6- अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ।
- 7- प्रो० दिनेश चन्द्र शर्मा, थु० मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।
- 8- डॉ० संजय दिवाकर, उप निदेशक (तकनीकी), रुसा, लखनऊ।

आज्ञा से,

Signed by Surya Prakash

(सुरेश प्रकाश मिश्रा)
Date: 19.12.2024 11:36:06
उप सचिव।

1- Coordingtor Samarth / Dr. Tyoti Pandey
2- DR. (A. B. B. B.)
3- P.S to VC

Sh. Prasenjit
12/12/24

कुलसचिव

संख्या 14 21090 / एलटर-3-20-4

डा० सुधीर एम० बोबडे, अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति की अध्यक्षता में दिनांक 11.11.2024 को दिनांक 26.11.2024 को संविधान दिवस, भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल जी की 148वीं जयन्ती, नैक मूल्यांकन से सम्बन्धित पुस्तक प्रकाशन, समर्थ पोर्टल के क्रियान्वयन एवं पढ़े विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, बड़े विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के कार्यक्रम के सम्बन्ध में हुई समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

सम्मिलित अधिकारीगण-

10/08/2024/10/08/2024

- 1- समस्त कुलपति/कुल सचिव उत्तर प्रदेश (वर्चुअली/ऑनलाईन)
- 2- श्री पंकज एल० जानी, विशेष कार्याधिकारी (शिक्षा), श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 3- श्री हेमन्त कुमार चौधरी, उप सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 4- श्री एस०डी० पौल, अनुभाग अधिकारी (शिक्षा) राज्यपाल सचिवालय, उ०प्र०, लखनऊ।

बैठक का प्रारम्भ, अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा वर्चुअली/ऑनलाईन बैठक में सम्मिलित समस्त कुलपति एवं अन्य सभी अधिकारियों का स्वागत करते हुए निम्नानुसार 05 बिन्दुओं पर समीक्षा बैठक प्रारम्भ की गयी:-

08/11/24 (GKT)

क्रम सं०	बैठक में चर्चा के बिन्दु	अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश
1-	आगामी संविधान दिवस मनाये जाने की समीक्षा	01. दिनांक 26.11.2024 को संविधान दिवस के अवसर पर इस सचिवालय के पत्र सं० ई-8516/32-जी०एस०/2024, दिनांक 11.11.2024 में दिये गए निर्देशानुसार समस्त विश्वविद्यालय/संस्थानों में प्रतियोगिता कराई जाए। 02. उक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय/संस्थान संविधान दिवस पर शपथ, भाषण आदि करायें। इसके अतिरिक्त वे अपनी सुविधानुसार संविधान दिवस से सम्बन्धित कोई अन्य कार्यक्रम भी करा सकते हैं।
2-	भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल जी की जयन्ती पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा	01. समस्त प्रतियोगिता राज्यपाल सचिवालय के पत्र संख्या: ई-8265/32-जी०एस०/2024-XXI दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 द्वारा बनाये गये 6 समूहों में समूहवार ही आयोजित की जायेंगी। 02. सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा छात्रों को भाषा की समस्या होने के कारण वह निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता हिन्दी/संस्कृत भाषा में करा सकते हैं। 03. प्रतियोगिता विश्वविद्यालयों के बनाये गये समूह अनुसार आयोजित करायी जाय। इस सम्बन्ध में कुलपतिगण अपने-अपने समूहों में आपसी सामंजस्य स्थापित कर प्रतियोगिता का स्थान चिन्हित कर लें। 04. आयोजनों से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स, जियोटेग एवं नॉन जियोटेग कैमरे से लेकर संरक्षित करना सुनिश्चित करें।

19/11/24
(आर० पी० चौधरी)
निजी सचिव,
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा, नागरिक सुरक्षा,
राजनीतिक व सहायक विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

3843 (VST) 24
Sol
24


20/11/24
(गिरिजेश कुमार त्यारी)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

9/11/24
22/11/24

18/11


90-3

		<p>05. एक-एक प्रतियोगिता अलग-अलग विश्वविद्यालयों में आयोजित करायी जाय।</p> <p>06. समस्त संस्थान/विश्वविद्यालय आपसी सामंजस्य से कलस्टर लेवल की प्रतियोगिता हेतु विश्वविद्यालय का चयन करते हुए और उनका टाइम फ्रेम क्या होगा?, तय करके राज्यपाल सचिवालय को भी अवगत करायें।</p>
3-	नैक मूल्यांकन उपरान्त पुस्तक के प्रकाशन की समीक्षा	<p>01. नैक ग्रेडिंग प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा पुस्तक प्रकाशन हेतु निर्धारित टाइमलाइन अक्टूबर तक पुस्तकें प्रेषित न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इस सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश सम्बन्धित विश्वविद्यालयों/संस्थानों को दिये गये।</p> <p>02. जिन विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा पुस्तक प्रकाशित नहीं कराई गई है वे पुस्तक का प्रकाशन शीघ्र कराकर उसकी प्रति मा० कुलाधिपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित करें।</p>
4-	समर्थ ई०आर०पी० के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा	<p>विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा समर्थ पोर्टल के सम्बन्ध में निम्नलिखित कठिनाईयों से अवगत कराया गया-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. फीस जमा न होने तथा प्रवेश पत्र नहीं निकलने की समस्या। 2. सेंटर आयोजन की समस्या। 3. सम्बद्ध महाविद्यालयों का डाटा क्लीयर नहीं होने की समस्या। 4. रिजल्ट डाटा की समस्या आ रही है। 5. एक्सपर्ट लॉगिन नहीं हो पाने की समस्या। 6. पेमेंट गेटवे, समर्थ टीम द्वारा क्रियान्वित नहीं किये जाने की समस्या। <p>इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये-</p> <ol style="list-style-type: none"> 01. छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर की भॉति मॉनीटरिंग हेतु समस्त विश्वविद्यालय अपने-अपने स्तर पर दो टीमें बनाये। एक टीम को महाविद्यालय स्तर पर भेजकर छात्रों के डाटा फीडिंग व लॉगिन में आ रही समस्याओं को मौके पर त्वरित निदान कराये एवं दूसरी टीम, समर्थ टीम के साथ सामंजस्य स्थापित कर आ रही समस्याओं का निदान त्वरित गति से कराये। 02. समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों को निर्देशित किया गया कि वे निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय व क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को सम्मिलित करते हुए आ रही समस्याओं से शासन को लिखित रूप में अवगत कराये।


18.11

5-	पढ़े विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय बढ़े विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय कार्यक्रम की समीक्षा	सभी विश्वविद्यालय एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में छात्र-छात्रायें एवं उनके अभिभावकगण तथा विश्वविद्यालय में तैनात कार्मिकों के एक साथ पुस्तकें पढ़ने का 45 मिनट का कार्यक्रम आयोजित कराये। जिन-जिन विश्वविद्यालयों/संस्थानों से सम्बद्ध कालेजों के क्लास रूम वीडियो-मैपड हैं, उस पर एक साथ कार्यक्रम क्रियान्वित करायें।
----	--	--

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।



(डा० सुधीर एम० बोबडे)

कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।

राज्यपाल सचिवालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश-226027

संख्या: ई- 8596/32-जी०एस०/2024

दिनांक: 18 नवम्बर, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त कुलपति/निदेशकगण, राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान, उ०प्र०।
- 2- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- श्री शीमू गिरि, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- समस्त कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान, उ०प्र०।
- 5- अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल के निजी सचिव को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
- 6- विशेष कार्याधिकारी (शिक्षा) श्री राज्यपाल के निजी सचिव को विशेष कार्याधिकारी के अवलोकनार्थ।

(डा० पंकज एल० जानी)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी।